

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0135-2550591

एन०सी०सी० निदेशालय उत्तराखण्ड
बंगला नं० पी०-०४ नागनाथ रोड
घंघोड़ा कैंन्ट,
देहरादून 248141

1648/वा०स्थानान्तरण/2019/पर्स(ग)

24 जून 2019

एन०सी०सी० ग्रुप मुख्यालय
देहरादून/रूड़की/नैनीताल

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अंतर्गत विभाग में कार्मिकों का स्थानान्तरण ।

1. विषयक अधिनियम के अंतर्गत विभाग में कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत निम्नानुसार विभाग में कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेश जारी किया जा रहा है-

क्रम संख्या	कार्मिकों का नाम/पदनाम	ग्रुप/युनिट कार्यालय का नाम जहां तैनात है।	नये नैतानी स्थल/युनिट का नाम	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण (स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 17(1)(क) के अंतर्गत)				
1	श्री फारूख खान, प्रशासनिक अधिकारी	78 यू०के० बटा० एन०सी०सी० हल्द्वानी	80 यू०के० बटा० एन०सी०सी० पिथौरागढ़	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
2	श्री अमोद कुमार, वरिष्ठ सहायक	एन०सी०सी० ग्रुप मुख्यालय नैनीताल	4 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० पौड़ी	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
3	श्रीमती पूनम पाण्डे, कनिष्ठ सहायक	24 यू०के० बटा० एन०सी०सी० अल्मोड़ा	81 यू०के० बटा० एन०सी०सी० बागेश्वर	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
4	श्री प्रमोद कुमार, वाहन चालक	एन०सी०सी० ग्रुप मुख्यालय देहरादून	4 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० पौड़ी	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण (स्थानान्तरण अधिनियम के धारा 17(1)(ग) के अंतर्गत)				
5	श्रीमती पुष्पा टम्टा, प्रशासनिक अधिकारी	80 यू०के० बटा० एन०सी०सी० पिथौरागढ़	78 यू०के० बटा० एन०सी०सी० हल्द्वानी	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
6	श्री विवेक सिंह, वरिष्ठ सहायक	4 यू०के० कम्पनी एन०सी०सी० पौड़ी	एन०सी०सी० ग्रुप मुख्यालय नैनीताल	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।

कमरा...2...

(2)


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	श्री मोहन चन्द्र भट्ट, कनिष्ठ सहायक	81 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 बागेश्वर	24 यू0के0 बटा0 एन0सी0सी0 अल्मोडा	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।
8	श्री आनन्द लाल, वाहन चालक	4 यू0के0 कम्पनी एन0सी0सी0 पौड़ी	एन0सी0सी0 गुप मुख्यालय देहरादून	यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय।

2. उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नये कार्यस्थल/स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को उपरोक्तानुसार नये कार्यस्थल में तैनाती हेतु तत्काल अवमुक्त करें।

3. अवमुक्त होने वाले कार्मिकों को नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि' का उपभोग नये कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत देय किया जायेगा। अवमुक्ति के उपरांत मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि' का ही उपभोग किया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध विषयक अधिनियम के धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4. सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अंतर्गत स्थानान्तरित किये गए कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तैनाती सम्बन्धित न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर उन्हें अनिवार्य रूप से पुनः सुगम में स्थानान्तरित किया जायेगा।

5. कृपया उपरोक्त में दिनांक 08 जुलाई 2019 तक कार्यसमापन की सूचना निदेशालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।


(गौरव कन्तार)
कर्नल
अपर निदेशक
कृते अपर महानिदेशक